



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092022-238595
CG-DL-E-03092022-238595

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]
No. 424]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2022/भाद्र 11, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022/BHADRA 11, 1944

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

फा. सं. CEA-PS-13-23(13)/6/2022-PSPM Division.—जबकि मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड (मैसर्स टीपीएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय “समंवर”, 600, तपोवन, अम्बावाडी, अहमदाबाद - 380015 है, ने पारेषण योजना “मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड को जामखंभालिया, देवभूमि द्वारका, गुजरात में 115 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए कनेक्टिविटी” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. I/18640/2021 दिनांक 09.11.2021 के द्वारा पारेषण योजना “मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड को जामखंभालिया, देवभूमि द्वारका, गुजरात में 115 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए कनेक्टिविटी” के लिए मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड ने दिनांक 27.03.2022 (द टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका और दिव्या भास्कर) के स्थानीय खबरों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक अप्रैल 23 - अप्रैल 29, 2020 को, प्रकाशित किया गया था। जिसमें पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड ने 24.06.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड को जामखंभालिया, देवभूमि द्वारका, गुजरात में 115 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए कनेक्टिविटी” के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों

और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

इस योजना के तहत निम्नलिखित ओवरहेड लाइनें शामिल हैं -

1. 220kV S/C लाईन टोरेंट पावर लिमिटेड (टीपीएल) सिद्धपुर पीपीएस - जामखंभालिया पीएस

स्कीम के अंतर्गत आवरित ट्रांसमिशन लाइन्स निम्नलिखित तहसीलों, तालुकों, मंडलों, ब्लॉक, गांवों, नगरों तथा शहरों से, ऊपर, आसपास तथा बीच से होकर गुजरेगी.

लाईन : 220kV S/C लाईन टोरेंट पावर लिमिटेड (टीपीएल) सिद्धपुर पीपीएस - जामखंभालिया पीएस

राज्य : गुजरात

	गावों के नाम	तालुका	ज़िला
1	1) कनकपर, 2) माडी, 3) कानपर शेरडी, 4) चपर, 5) धूमथल	कल्याणपुर	देवभूमि द्वारका
2	6) भटगाम, 7) मांजा, 8) शक्तिनगर, 9) रामनगर, 10) कोलवा, 11) भींडा, 12) तथिया, 13) विंजलपर, 14) विरमदड, 15) जुवानगढ, 16) खजुरिया, 17) माधुपुर, 18) पीपलीया, 19) भातेल, 20) मोवाण, 21) सिद्धपुर, 22) केशोद, 23) ठाकर शेरडी, 24) ललीया, 25) भाडथर, 26) गोलण शेरडी	खंभालिया	देवभूमि द्वारका

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड को उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत आवरित ट्रांसमिशन लाइन्स को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति लेनी होगी।
- (iii) आवेदक विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस इत्यादि के संबंध में उपयुक्त आयोग के नियमों/कोडों का पालन करेगा।
- (iv) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- (vi) मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड (मैसर्स टीपीएल) को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (vii) यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईवी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईवी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है। आवेदक को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये, जैसा भी मामला हो, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है।

राकेश गोयल, सचिव, के.वि.प्रा.

[विज्ञापन-III/4/असा./246/2022-23]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 21st July, 2022

F. No. CEA-PS-13-23(13)/6/2022-PSPM Division.—whereas M/s Torrent Power Limited (M/s TPL), the applicant with its registered office at, “Samanvay”, 600, Tapovan, Ambavadi, Ahmedabad-380015, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity to Torrent Power Limited for its 115 MW Wind Power Plant in Jam Khambhaliya, Dev Bhoomi Dwarka, Gujarat”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No I/18640/2021 dated 09.11.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Torrent Power Limited for the transmission scheme “Connectivity to Torrent Power Limited for its 115 MW Wind Power Plant in Jam Khambhaliya, Dev Bhoomi Dwarka, Gujarat”.

M/s Torrent Power Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 27.03.2022 (The Times of India, Rajasthan Patrika & Divya Bhaskar) and in The Gazette of India, dated April 23 – April 29, 2022, for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s Torrent Power Limited has submitted an affidavit dated 24.06.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon it, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity to Torrent Power Limited for its 115 MW Wind Power Plant in Jam Khambhaliya, Dev Bhoomi Dwarka, Gujarat”.

The following overhead lines are covered under this scheme :

1. 220 kV S/C Transmission line from Torrent Power Limited Sidhpur PSS to Jam Khambhaliya PS.

The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around and between the following of Tehsils, Talukas, Mandals, Blocks, villages, towns & cities.

Line : 220 kV S/C Transmission line from Torrent Power Limited Sidhpur PSS to Jam Khambhaliya PS.

STATE :Gujarat

S No.	Villages name	TALUKAS	District
1	1) Kanakpar, 2) Madi 3) Kanpar Sherdi, 4) Chapar, 5) Dhurmthal,	Kalyanpur	Devbhumi Dwarka
2	6) Bhatgam, 7) Manza, 8) Shaktinagar, 9) Ramnagar, 10) Kolva, 11) Bhinda, 12) Tathiya, 13) Vinzalpar, 14) Viramdad, 15) Juvangadh, 16) Khajuria 17) Madhupur, 18) Pipaliya, 19) Bhatel, 20) Movan, 21) Sidhpur, 22) Keshod, 23) Thakar Sherdi, 24) Laliya, 25) Bhadthar, 26) Golan Sherdi	Khambhaliya	Devbhumi Dwarka

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by Government or to be established or maintained upon M/s Torrent Power Limited for laying above overhead line, subject to following terms and conditions:

- (i) he approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s Torrent Power Limited (M/s TPL) shall submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.
- (vii) In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the GIB potential zone (or priority zone) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB (Great Indian Bustard) case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and / or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

RAKESH GOYAL, Secy., CEA

[ADVT.-III/4/Exty./246/2022-23]